राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविवि/3/2009पार्ट–III   जयपुर, दिनांक :– 12 OCT 2015

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में श्री अजय त्यागी द्वारा दायर की गयी रिट याचिका के क्रम में।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्र क्र. जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2015/डी–2199 दिनांक 24.09.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित) एवं मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2013 (संशोधित) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

14.7 (ढ)

1. जिस पंजीकृत स्ट्रक्चरल इन्जिनियर द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान हेतु घोषणा पत्र एवं रचनात्मक सुरक्षा हेतु घोषणा की गयी है, उसी इन्जिनियर से प्रार्थी भवन निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात् यह शपथ पत्र लेकर प्रस्तुत करें कि भवन का निर्माण भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड़ के पार्ट – vi के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।
2. उक्त प्रावधान को सम्पूर्ण भवन के पूर्ण होने पर लागू किया जावे तथा अधिवास प्रमाण पत्र उसके पश्चात् ही जारी किया जावे।

उपरोक्तानुसार प्रावधान भवन विनियमों में सम्मिलित किया जावे।

भवदीय,

ह०/-
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/अजमेर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

IA
कलिंडर
14-1375